

15 ¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद सायं 5:00
बजे तक वादी एवं वादी वकील में से कोई
अपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रकरण अदम
हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली अदम पैरवी में फैसल
शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे।
काद शर्ति दफ्तर कायिल है।

~~SSO~~